



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082020-221389
CG-DL-E-27082020-221389

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 2020/भाद्र 5, 1942

No. 428]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 2020/BHADRA 5, 1942

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 534(अ).—राष्ट्रपति जम्मू एवं-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 के अधीन जारी तारीख 31 अक्टूबर, 2019 की उद्घोषणा के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

अध्याय – I

प्रारंभिक

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम जम्मू -कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार के कार्य संचालन नियम, 2019 है।
2. (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) "अधिनियम" से जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) अभिप्रेत है;
 - (ख) "उप-राज्यपाल" से जम्मू - कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उप राज्यपाल अभिप्रेत है;
 - (ग) "संघ राज्यक्षेत्र" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;
 - (घ) "परिषद" से उक्त अधिनियम की धारा 54 के अधीन गठित मंत्रिपरिषद अभिप्रेत है;
 - (ङ) "अध्याय" से इन नियमों का कोई अध्याय अभिप्रेत है;
 - (च) "विभाग" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार के कार्य संचालन नियम, 2019 के साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभाग अथवा कार्यालय अभिप्रेत है;

- (छ) "सरकार" से जम्मू - कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार अभिप्रेत है;
- (ज) "विधानसभा" या "संघ राज्यक्षेत्र के विधानमंडल" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अभिप्रेत है;
- (झ) "मंत्री" से मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अभिप्रेत है;
- (ञ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ट) "सचिव" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का कोई प्रशासनिक सचिव अभिप्रेत है तथा इसके अंतर्गत विभाग के कार्यालय प्रमुख के रूप में उप राज्यपाल का प्रधान सचिव या सचिव भी हैं।

(2) ऐसे शब्द जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं किंतु अधिनियम में हैं ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों का जो परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः अधिनियम में है

(3) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इन नियमों के निर्वचन के लिए वैसे ही लागू होगा जैसे कि वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

अध्याय-2

सामान्य

3. (1) संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के संबंध में सभी संविदाओं को उसी प्रकार अभिव्यक्त किया गया माना जाएगा मानो ये राष्ट्रपति द्वारा की गई हों तथा इन्हें उप राज्यपाल अथवा उप राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति की ओर से निष्पादित किया जाएगा।
- (2) उप-नियम (1) में उल्लिखित संविदाओं को निष्पादित तथा हस्ताक्षरित करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसी संविदाओं को उसे प्रत्यायोजित की गई वित्तीय शक्तियों के भीतर निष्पादित करेगा तथा ऐसे मामलों, जिनमें उसे प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करना शामिल हो, में इस प्रकार की संविदाएं सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात निष्पादित की जाएंगी।
- (3) संघ राज्यक्षेत्र सरकार के प्रत्येक आदेश अथवा लिखत पर सरकार के मुख्य सचिव, सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव, उप सचिव अथवा अवर सचिव अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसे उप राज्यपाल द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से शक्ति प्रदान की गई हो और इन हस्ताक्षरों को इस प्रकार के आदेश अथवा लिखत का उचित अधिप्रमाणन माना जाएगा।

अध्याय -3

मंत्रियों के बीच आबंटित कार्यों का निपटान

4. (1) सरकार का कार्य प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभागों में संचालित किया जाएगा तथा उसमें अधिकथित तरीके से उन विभागों के बीच वर्गीकृत और वितरित किया जाएगा।
- (2) मुख्यमंत्री की सलाह पर उप राज्यपाल किसी मंत्री को एक या एक से अधिक विभाग सौंपकर मंत्रियों में सरकार के कार्यों का आबंटन करेंगे।
- (3) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंध में उप राज्यपाल के नाम से किसी विभाग द्वारा जारी किए गए सभी कार्यकारी आदेशों तथा राष्ट्रपति के नाम से की गई संविदाओं के लिए यह परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी, भले ही इस प्रकार के आदेशों अथवा संविदाओं को मंजूरी प्रभाग से संबंधित मामले के प्रभारी मंत्री द्वारा दी गई हो अथवा मंत्रिपरिषद की बैठक में की गई चर्चा के परिणामस्वरूप प्रदान की गई हो।
5. (1) जब तक कि प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए किसी सामान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा प्रदत्त व्यय स्वीकृत करने अथवा निधियों को विनियोजित या पुनर्विनियोजित करने की शक्ति में पूरी तरह से आच्छादित न हो, कोई विभाग, वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना, कोई ऐसा आदेश जारी नहीं करेगा

- (क) जिसमें राजस्व का परित्याग शामिल हो अथवा कोई ऐसा व्यय शामिल हो जिसके लिए विनियोग अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया हो;
- (ख) जिसमें कोई भूमि प्रदान किया जाना अथवा राजस्व प्रदान करना अथवा रियायत, अनुदान, पट्टा अथवा लाइसेंस अथवा खनिज अथवा वन अधिकार अथवा जल, बिजली का अधिकार अथवा कोई केसमेंट अथवा विशेषाधिकार शामिल हो;
- (ग) जो पदों की संख्या अथवा ग्रेड अथवा सेवा की शक्ति अथवा सरकारी कर्मचारियों के वेतन या भत्तों अथवा अन्य किन्हीं शर्तों अथवा उनकी सेवा किसी वित्तीय प्रभाव से संबंधित हो; अथवा
- (घ) जिसका अन्यथा वित्तीय प्रभाव हो चाहे उसमें व्यय शामिल हो अथवा नहीं :

परंतु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट प्रकृति का कोई आदेश वित्त विभाग और उसके अधीन आने वाले विभागों और एजेंसियों के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा।

(2) किसी ऐसे प्रस्ताव जिसके लिए इस नियम के अधीन वित्त विभाग की पूर्व सहमति अपेक्षित हो किंतु जिसे वित्त विभाग ने सहमति प्रदान नहीं की हो, पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है जब तक कि परिषद द्वारा इस आशय का कोई निर्णय न लिया जाए और उसे उप राज्यपाल द्वारा अनुमोदित न किया जाए।

(3) पुनर्विनियोजन की शक्ति के ऐसे सामान्य प्रत्यायोजन के अनुसार, जो वित्त विभाग द्वारा किया जाए, के सिवाय वित्त विभाग से भिन्न किसी विभाग द्वारा कोई पुनर्विनियोजन नहीं किया जाएगा।

(4) सिवाय उस सीमा तक, जहां तक कि वित्त विभाग द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित नियमों के अंतर्गत विभागों को शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, लेखापरीक्षा में प्रवृत्त की जाने वाले स्वीकृति से संबंधित किसी प्रशासनिक विभाग के प्रत्येक आदेश के बारे में वित्त विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्राधिकारियों को सूचित किया जाएगा।

(5) इस नियम में की कोई बात वित्त विभाग सहित किसी प्राधिकारी अथवा विभाग को निम्नलिखित के लिए अर्थ लगाने वाली नहीं मानी जाएगी

- (क) 'किसी एक अनुदान' अथवा 'प्रभारित व्यय के लिए विनियोजन' से किसी दूसरी अनुदान अथवा प्रभावित व्यय के लिए विनियोजन में पुनर्विनियोजन करने के लिए;
- (ख) प्रभारित व्यय के लिए प्रदान की गई निधियों को स्वीकृत व्यय को वहन करने के लिए पुनर्विनियोजित करने हेतु;
- (ग) स्वीकृत व्यय के लिए प्रदान की गई निधियों को प्रभारित व्यय को वहन करने के लिए पुनर्विनियोजित करने हेतु;
- (घ) ऐसी किसी नई सेवा, जिसकी बजट में परिकल्पना नहीं की गई हो, पर विधानसभा द्वारा अनुमोदित व्यय को वहन करने के लिए निधियों को विनियोजित तथा पुनर्विनियोजित करने हेतु।

6. मुख्य सचिव, परिषद का सचिव होगा और उप राज्यपाल के प्रधान सचिव अथवा सचिव परिषद का संयुक्त सचिव होगा और जब परिषद का सचिव अनुपस्थित हो तो सचिव के दायित्वों का निर्वहन संयुक्त सचिव द्वारा किया जाएगा।

7. नियम 8 के अधीन मुख्य मंत्री के आदेशों के अध्याधीन दूसरी अनुसूची में उल्लिखित सभी प्रस्तावों को इस अध्याय में निहित प्रावधानों के अनुसार परिषद के समक्ष रखा जाएगा:

परंतु यह कि ऐसा कोई प्रस्ताव, जिसके संबंध में उप राज्यपाल को इस अधिनियम के अधीन अपने विवेकाधिकार से कार्य करना है, परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

परंतु यह और कि ऐसा कोई प्रस्ताव, जिसके संबंध में नियम 5 (1) के अंतर्गत वित्त विभाग की सहमति अपेक्षित हो, पर आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय और मुख्यमंत्री के निर्देश के अधीन, परिषद द्वारा चर्चा नहीं की जाएगी जब तक कि वित्त मंत्री को इस पर विचार करने का अवसर न मिला हो:

परंतु यह भी कि जम्मू-कश्मीर अधिनियम, 2019 की धारा 73 के अंतर्गत उदघोषणा के मामले में उप राज्यपाल उस तरीके का निर्धारण करेगा जिस तरीके से इस अध्याय के अंतर्गत उल्लिखित प्रस्तावों का निपटान किया जाना है।

8. दूसरी अनुसूची में उल्लिखित सभी प्रस्तावों को प्रभारी मंत्री द्वारा विचार किए जाने के पश्चात, मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा ताकि इन्हें परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए नियम 9 के अंतर्गत प्रस्तावों के परिचालन के बारे में उनके आदेश प्राप्त किए जा सकें।

9. (1) मुख्यमंत्री यह निदेश दे सकते हैं कि नियम 8 के अधीन उन्हें प्रस्तुत कोई प्रस्ताव, परिषद की बैठक में चर्चा के लिए प्रस्तुत किए जाने के बजाय, मंत्रियों की राय के लिए परिचालित किया जाए, और यदि सभी मंत्रियों की सर्वसम्मति हो तथा मुख्यमंत्री की यह राय हो कि परिषद की बैठक में चर्चा अपेक्षित नहीं है तो उस प्रस्ताव को परिषद द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित माना जाएगा और यदि मंत्रियों की सर्वसम्मति न हो अथवा यदि मुख्यमंत्री की यह राय हो कि बैठक में चर्चा अपेक्षित है तो उस प्रस्ताव पर परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी।

(2) यदि किसी प्रस्ताव को परिचालित करने का निर्णय लिया जाता है, तो जिस विभाग से वह प्रस्ताव संबंधित है वह विभाग प्रस्ताव के तथ्यों, निर्णय के बिंदुओं तथा प्रभारी मंत्री की सिफारिशों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए, एक ज्ञापन तैयार करेगा और उसकी प्रतियां परिषद के सचिव को अग्रेषित करेगा जो उन्हें मंत्रियों में परिचालित कराएगा तथा साथ ही साथ उसकी एक प्रति उप राज्यपाल को भेजी जाएगी।

(3) संबंधित विभाग का सचिव परिषद के विचारार्थ प्रत्येक ज्ञापन को तैयार करने तथा इसे अधिप्रमाणित करने और प्रभारी मंत्री तथा मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(4) परिषद का सचिव यह सुनिश्चित करेगा कि परिषद के समक्ष केवल वे ही प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं जिन पर परिषद की सहायता और सलाह अपेक्षित हो।

(5) परिषद का सचिव यह सुनिश्चित करेगा कि परिषद की बैठक का कार्यवृत्त केवल उन प्रस्तावों के संबंध में जारी किया जाए जिनका उप-नियम (3) में उल्लेख किया गया है।

10. (1) यदि मामला अत्यावश्यक हो तो किसी प्रस्ताव को परिचालित करने का निदेश देते समय मुख्यमंत्री यह भी निदेश दे सकता है कि मंत्री अपनी राय से परिषद के सचिव को किसी विशेष तारीख तक अवगत करा दें जिसे नियम 9 में उल्लिखित ज्ञापन में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) यदि कोई मंत्री ज्ञापन में विनिर्दिष्ट की गई तारीख तक परिषद के सचिव को अपनी राय से अवगत नहीं करा पाता है तो यह माना जाएगा कि उसने इसमें निहित सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

(3) यदि मंत्री ने इस ज्ञापन में निहित सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है अथवा वह तारीख, जिस तक उसे अपनी राय भेजनी थी, का अवसान हो गया है तो परिषद का सचिव उस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि मुख्यमंत्री इन सिफारिशों को स्वीकार कर लेता है और यदि उसे कोई टिप्पणी नहीं करनी हो तो वह उस पर अपने आदेशों के साथ प्रस्ताव को परिषद के सचिव को लौटा देगा।

(5) मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त होने पर परिषद का सचिव निर्णय से उप राज्यपाल तथा संबंधित सचिव को सूचित करेगा जो तत्पश्चात उन आदेशों को जारी करने के आवश्यक कदम उठाएगा जब तक कि अध्याय-V के प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अवगत कराना अपेक्षित न हो।

11. जब किसी प्रस्ताव को परिषद के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया हो, तो जिस विभाग से वह प्रस्ताव संबंधित है वह विभाग, जब तक मुख्यमंत्री अन्यथा निदेश न दे, प्रस्ताव के प्रमुख तथ्यों तथा निर्णय के बिंदुओं का संक्षेप में उल्लेख करते हुए एक ज्ञापन तैयार करेगा और ज्ञापन तथा ऐसे दस्तावेजों, जो उस प्रस्ताव का निपटान करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, की प्रतियां परिषद के सचिव को भेजेगा जो ज्ञापन को मंत्रियों में परिचालित कराएगा और साथ ही साथ उसकी एक प्रति उप राज्यपाल को भेजेगा।

12. एक से अधिक विभागों में किसी समझौते पर पहुंचने के लिए मंत्री अन्य संबंधित मंत्रालय से परामर्श करेगा। यदि कोई समझौता हो जाता है तो नियम 9 अथवा 11 में उल्लिखित ज्ञापन में मंत्रियों की संयुक्त सिफारिशें होंगी; और यदि कोई समझौता नहीं होता है तो उस ज्ञापन में मतभेद के बिंदुओं और संबंधित प्रत्येक मंत्रालय की सिफारिशों का उल्लेख किया जाएगा।

13. (1) परिषद की बैठक ऐसे स्थान और समय पर होगी जिसका मुख्यमंत्री निदेश दें।

(2) मुख्यमंत्री की अनुमति के सिवाय, कोई भी मामला बैठक की कार्य सूची में शामिल नहीं किया जाएगा जब तक कि उससे संबंधित कागजात नियम 11 के अंतर्गत यथा अपेक्षानुसार परिचालित नहीं किए गए हों।

(3) मुख्यमंत्री द्वारा परिषद् की बैठक में विचार विमर्श किये जाने वाले प्रस्तावों को दर्शित करने वाली कार्यसूची का अनुमोदन किये जाने के पश्चात्, ऐसे ज्ञापन की प्रतियों के साथ, जिनका नियम 11 के अधीन परिचालन नहीं किया गया है, परिषद् के सचिव द्वारा उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को भेजा जायेगा जिससे उनके पास ऐसी बैठक की तारीख से कम से कम दो दिन पहले पहुंच जाये : परन्तु मुख्यमंत्री, द्वारा अत्यावश्यकता की दशा में दो दिन की उक्त अवधि को कम किया जा सकेगा।

(4) यदि कोई मंत्री दौरे पर हो तो एजेंडा संबंधित विभाग के सचिव को अग्रेषित किया जाएगा, जो यदि आवश्यक समझे कि किसी प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए मंत्री के वापस आने तक प्रतीक्षा की जानी चाहिए, तो वह परिषद के सचिव से उक्त मंत्री के वापस आने तक प्रस्ताव पर चर्चा को स्थगित किए जाने के लिए मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है।

(5) परिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री तथा उसकी अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई दूसरा मंत्री करेगा।

(6) यदि मुख्यमंत्री ऐसा निर्देश देता है तो संबंधित विभाग के सचिव से परिषद् की बैठक में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जा सकेगी।

(7) परिषद का सचिव परिषद की सभी बैठकों में भाग लेगा तथा निर्णयों का रिकॉर्ड तैयार करेगा। वह ऐसे रिकॉर्ड की प्रति मंत्रियों और उप राज्यपाल को अग्रेषित करेगा।

14. (1) प्रत्येक प्रस्ताव के बारे में परिषद के निर्णय को अलग-अलग रिकॉर्ड किया जाएगा तथा मुख्यमंत्री अथवा अध्यक्षता करने वाले मंत्री के अनुमोदन के पश्चात् इसे अनुमोदित किए परिषद के निर्णय के साथ परिषद के सचिव द्वारा उप राज्यपाल को अग्रेषित किया जाएगा।

(2) जहां किसी प्रस्ताव को परिषद द्वारा अनुमोदित कर दिया हो तथा अनुमोदित रिकॉर्ड उप राज्यपाल को संसूचित कर दिया हो तो संबंधित सचिव इस निर्णय को प्रभावी बनाने की कार्यवाही करेगा जब तक कि अध्याय-V के प्रावधानों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार को सूचित करना अपेक्षित न हो।

कार्य का विभागीय निपटान

क-साधारण

15. (1) इन नियमों के द्वारा या इनके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रस्तावों या मामलों का निपटान प्रभारी मंत्री द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किया जाए जो विभाग के सचिव से परामर्श करके उसके विभाग में प्रस्तावों अथवा मामलों के निपटान के बारे में स्थायी आदेशों के माध्यम से ऐसे निदेश दे सकता है। ऐसे स्थायी आदेशों की प्रतियों को मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को अग्रेषित किया जायेगा।

(2) विभाग का प्रमुख उसका सचिव होगा जो संबंधित विभाग के कार्य का प्रशासनिक सचिवालय के अधिकारियों में आबंटन करेगा।

(3) नियम 15 के खंड (1) पर प्रभारी मंत्री और विभाग के सचिव के बीच असहमति की स्थिति में वह मामला मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा।

16. विभाग के सचिव के परामर्श से मंत्री स्थायी आदेशों के द्वारा यह निर्णय करेगा कि कौन से मामले और कौन सी श्रेणियों के मामले उसके निजी ध्यान में लाए जाएं। इस प्रकार के स्थायी आदेशों की प्रतियां आदेश के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्तुत की जाएंगी:

परंतु यह कि जब कोई मामला ऐसे किसी विषय से संबंधित हो जिसमें संबंधित मंत्री का व्यक्तिगत हित हो तो उसे मुख्यमंत्री के आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

17. (1) जब किसी प्रस्ताव अथवा मामले का विषय एक से अधिक विभाग से संबंधित हो तो इस पर सभी संबंधित विभागों और मुख्य सचिव द्वारा विचार किए जाने तक कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा (न ही प्रस्ताव को परिषद के समक्ष रखा जाएगा)।

(2) यदि संबंधित विभागों का किसी प्रस्ताव के बारे में एकमत न हो तो यदि इनमें से किसी विभाग का प्रभारी मंत्री इस प्रस्ताव पर कार्रवाई करना चाहे तो वह यह निर्देश दे सकता है कि इस प्रस्ताव को, आदेश अथवा निर्देश अथवा इसे परिषद के समक्ष रखने के लिए, मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेगा।

18. (1) वित्त विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग से भिन्न किसी विभाग में सचिव कागजात मांग सकता है और उन्हें देख सकता है, यदि इस प्रकार के कागजात उसके विभाग में किसी प्रस्ताव अथवा मामले के निपटान के लिए आवश्यक हों।

(2) उप-नियम (1) के अधीन की गई किसी मांग पर, प्रभारी मंत्री को सूचित करते हुए, कार्रवाई की जाएगी।

- (3) (क) मंत्री ऐसे कागजपत्रों के सिवाय, जो ऐसे मामलों से संबंधित हो जिनमें इस अधिनियम के अधीन उप राज्यपाल को अपने विवेकाधिकार से कार्य करना हो, किसी विभाग से अपनी सूचना के लिए कागजपत्रों की मांग कर सकेगा:

परंतु यदि कागजपत्र गुप्त प्रकृति का है तो उसे उस विभाग के, जिसका वह मंत्री है, से भारसाधक मंत्री से आवश्यक आदेश प्राप्त करने के पश्चात् ही मंत्री को अग्रेषित किया जायेगा:

परंतु यह और कि निपटान किए जाने वाले किसी कागजपत्र को तब तक किसी मंत्री को अग्रेषित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस विभाग, जिससे यह संबंधित है, के भारसाधक मंत्री द्वारा उसे देख न लिया गया हो।

(ख) यदि मंत्री की यह राय हो कि उसके द्वारा किसी विभाग से मांगे गए कागजातों के बारे में आगे और कार्रवाई की जानी चाहिए तो वह उस संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री को अपने विचारों से अवगत कराएगा और यदि असहमति हो तो वह इस मामले को इस अनुरोध के साथ मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेगा कि इस मामले को परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तथा और कोई टिप्पणी तब तक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि इस मामले पर परिषद द्वारा विचार नहीं कर लिया जाए।

- (4) (क) मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री अथवा किसी मंत्री के आदेश पर अथवा स्वतः किसी विभाग में किसी प्रस्ताव अथवा मामले से संबंधित कागजात मांग सकता है तथा उन्हें देख सकता है और इस प्रकार की मांग का संबंधित विभाग के सचिव द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

(ख) प्रस्ताव अथवा मामले की जांच करने के बाद, मुख्य सचिव इसे मुख्यमंत्री के आदेशार्थ प्रस्तुत कर सकता है।

- (ग) निम्नलिखित से संबंधित सभी मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श किया जाएगा-

(क) सिविल नौकरियों में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के तरीकों और सामान्य सेवा शर्तों का निर्धारण; और

(ख) इस प्रकार की भर्ती अथवा सेवा शर्तों के सामान्य प्रयोग के मौजूदा आदेश का निर्वाचन।

(5) उप राज्यपाल किसी विभाग में किसी प्रस्ताव अथवा मामले से संबंधित कागजात मांग सकते हैं और इस प्रकार की मांग का संबंधित विभाग के सचिव द्वारा अनुपालन किया जाएगा। संबंधित सचिव साथ ही साथ, उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में उस विभाग के प्रभारी-मंत्री को सूचित करेगा।

19. यदि किसी स्तर पर इस बात का निर्धारण करना कठिन हो कि वह प्रस्ताव अथवा मामला किस विभाग से संबंधित है तो वह मामला निर्णय के लिए मुख्य सचिव को अग्रेषित किया जाएगा जो इस संबंध में मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त करेगा।

20. केन्द्र सरकार से प्राप्त सभी पत्रों, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों से प्राप्त पत्रों सहित, (रूटीन अथवा कम महत्व के पत्रों को छोड़कर) को उनके प्राप्त के बाद यथा शीघ्र मुख्य सचिव, प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल के सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

21. ऐसे किसी मामले, जिससे संघ राज्यक्षेत्र का केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के साथ विवाद पैदा होने की संभावना हो, को यथा शीघ्र संबंधित सचिव द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उप राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया जाएगा।

22. निम्नलिखित श्रेणी के प्रस्तावों अथवा मामलों पर कोई आदेश जारी करने से पूर्व इन्हें मुख्य सचिव के माध्यम से अनिवार्य रूप से उप राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसकी सूचना मुख्यमंत्री को दी जाएगी; अर्थात्-

- (i) नीति पर प्रश्न खड़े करने संबंधी मामले;
- (ii) ऐसे मामले जो संघ राज्य क्षेत्र की शांति और अमन को प्रभावित करते हों या प्रभावित होने की संभावना हो;
- (iii) ऐसे मामले, जो किसी अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों को प्रभावित करते हों या प्रभावित होने की संभावना हो;
- (iv) ऐसे मामले जिनसे राज्य सरकार, भारत के उच्चतम न्यायालय अथवा जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय के साथ संबंध प्रभावित होते हों ;
- (v) ऐसे प्रस्ताव अथवा मामले जिन्हें उक्त अधिनियम के अंतर्गत अथवा अध्याय-V के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को भेजा जाना अपेक्षित हो;
- (vi) उप राज्यपाल के सचिवालय तथा वैयक्तिक स्थापना से संबंधित मामले और उसके कार्यालय से संबंधित अन्य मामले;
- (vii) ऐसे मामले जिनमें उप राज्यपाल को किसी लागू आदेश अथवा कानून अथवा लिखत के अंतर्गत आदेश करना हो;
- (viii) विधानसभा बुलाने, सत्रावसान करने और उसका विघटन करने से संबंधित मामले;
- (ix) संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त किसी अधिनियम के अंतर्गत नियम जारी करने से संबंधित मामले;
- (x) इन नियमों से कोई विचलन जो मुख्य सचिव अथवा किसी विभाग के सचिव के ध्यान में आए;
- (xi) वार्षिक वित्तीय विवरण और योजना मूल्यांकन से संबंधित मामले; और
- (xii) प्रशासनिक महत्व के अन्य कोई प्रस्ताव अथवा मामले जिन्हें मुख्यमंत्री आवश्यक समझे।

23. जहां उप राज्यपाल की यह राय हो कि आगे और कोई कार्रवाई की जानी चाहिए अथवा यह कि प्रभारी-मंत्री द्वारा पारित आदेशों से अन्यथा कार्रवाई की जानी चाहिए तो वह उस प्रस्ताव अथवा मामले को परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है:

परंतु यह कि ऐसे किसी मामले में उप राज्यपाल के नोटों, कार्यवृत्त अथवा टिप्पणियों को सचिवालय के रिकॉर्ड में नहीं लाया जाएगा जब तक कि उप राज्यपाल ऐसी इच्छा व्यक्त न करें।

24. मुख्यमंत्री -

- (क) संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन से संबंधित सूचना तथा विधायन के प्रस्ताव, जिन्हें राज्यपाल मंगाए, को उप राज्यपाल को प्रस्तुत कराएगा ; और
- (ख) यदि उप राज्यपाल आवश्यक समझे तो मुख्यमंत्री किसी ऐसे मामले को परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया हो किंतु जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो।

ख. वित्त विभाग

- 25. ऐसे सभी मामलों में वित्त विभाग से परामर्श किया जाएगा जिनमें इन नियमों के अंतर्गत उसकी पूर्व सहमति आवश्यक हो।
- 26. जब इन नियमों के अंतर्गत वित्त विभाग से परामर्श किया जाए तो विभाग के विचारों को उस विभाग के स्थायी रिकॉर्ड में लाया जाएगा जिससे वह मामला संबंधित है तथा वह प्रस्ताव का भाग होगा।
- 27. नियम 5 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त विभाग वित्तीय प्रक्रिया को विनियमित करने के नियम बना सकता है।

ग. विधि विभाग

- 28. इसमें इसके पश्चात उपबंधित किए गए के सिवाय, विधि न्याय एवं संसदीय कार्य विभाग किसी विधान के संबंध में मूल अथवा प्रारंभिक विभाग नहीं होगा और इसका कार्य उस विधान, जिस पर नीतिगत निर्णय लिया गया है, के प्रस्तावों को उचित कानूनी स्वरूप प्रदान करना होगा तथा किसी विधान का सूत्रपात करने संबंधी प्रत्येक प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार किया जाएगा और यदि आवश्यक होगा तो इसे उस विभाग को अंतरित कर दिया जाएगा जिससे इस विधान की विषय-वस्तु संबंधित हो तथा इस विधान की आवश्यकता और विधेयक में शामिल किए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की जाएगी तथा नियम 4 के अंतर्गत उस विभाग में इसका निपटान किया जाएगा।
- 29. विधान का सूत्रपात करने संबंधी प्रस्ताव को एक मामले के रूप में माना जाएगा तथा उसे प्रशासनिक विभाग तथा विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी-मंत्री के माध्यम से मुख्य सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु यह कि इस मामले को तब तक मुख्यमंत्री को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित विभाग ने निम्नलिखित के बारे में विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग से परामर्श नहीं कर लिया हो-

- (i) विधिक दृष्टि से प्रस्तावित विधान की आवश्यकता;
- (ii) प्रस्तावित उपाय करने के लिए संघ राज्यक्षेत्र विधानमंडल की सक्षमता;
- (iii) राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने अथवा उप राज्यपाल की सिफारिशों के संबंध में संविधान, अधिनियम अथवा तत्समय लागू किसी अन्य कानून की आवश्यकता; और
- (iv) संविधान के उपबंधों तथा विशेष रूप से मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों के साथ प्रस्तावित उपाय का संगत होना।

- 30. यदि विधायी प्रस्ताव पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया हो और यदि इस प्रस्ताव में संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से व्यय शामिल हो तो वह विभाग, वित्त विभाग के परामर्श से एक वित्तीय ज्ञापन तैयार करेगा और उस प्रस्ताव को, तदनुसार विधेयक का प्रारूप तैयार करने का अनुरोध करते हुए, विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग को अग्रेषित किया जाएगा।

31. विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग, तत्पश्चात् विधेयक का प्रारूप तैयार करेगा, उद्देश्यों और कारणों के कथन की जांच करेगा तथा मामले को संबंधित विभाग को लौटाएगा।
32. प्रशासनिक विभाग विधेयक के प्रारूप पर ऐसे अधिकारियों और निकायों की राय प्राप्त करेगा जो वह आवश्यक समझे तथा इस प्रकार प्राप्त राय को विधेयक के प्रारूप की प्रति के साथ प्रभारी-मंत्री को प्रस्तुत करेगा।
33. यदि मसौदा विधेयक को प्रभारी-मंत्री द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो इसे अन्य मंत्रियों को परिचालित किया जाएगा और इसकी एक प्रति उप राज्यपाल को भेजी जाएगी और तत्पश्चात् इस ड्राफ्ट को इन नियमों के अनुसार परिषद की बैठक में रखा जाएगा।
34. यदि मसौदा विधेयक पर, संशोधनों के साथ अथवा उनके बिना, आगे बढ़ने का निर्णय लिया जाता है तो प्रशासनिक विभाग इस मामले को, विधेयक का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के अनुरोध के साथ विधि, न्याय एवं संसदीय कार्य विभाग को भेजेगा।
35. विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप प्रदान करेगा और इसे, विधेयक के लिए स्वीकृतियों, यदि कोई अपेक्षित हो, का उल्लेख करते हुए, संबंधित विभाग को भेजेगा। यदि विधेयक में किन्हीं प्रावधानों, जिनमें संघ राज्यक्षेत्र की समेकित निधि से व्यय शामिल हो, को अंतिम रूप दिए गए ड्राफ्ट में आशोधित किया जाता है तो प्रशासनिक विभाग अंतिम रूप दिए गए मसौदा विधेयक को, वित्तीय ज्ञापन में संशोधन करने के लिए वित्त विभाग को भेजेगा।
36. तत्पश्चात् प्रशासनिक विभाग विधेयक के फाइनल प्रारूप को, अपेक्षित विवरणों तथा उद्देश्यों और कारणों के कथन, वित्तीय ज्ञापन, प्रत्यायोजित विधान से संबंधित ज्ञापन, उप राज्यपाल की सिफारिशों से संबंधित ज्ञापन तथा इस प्रकार के अन्य विवरणों की प्रतियों के साथ विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने संबंधी अनुदेशों सहित उस पर परिषद के अनुदेशों के साथ विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग को अग्रेषित करेगा और उसके बाद प्रस्ताव विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग से संबंधित माना जाएगा।
37. नियम 28 में निहित किसी बात के होते हुए, विधेयकों का निरसन और संशोधन करने जैसे औपचारिक स्वरूप के मौजूदा अधिनियमों और विधायन को पूरी तरह से संहिताबद्ध और समेकित करने के लिए उपाय विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग में शुरू किए जाएं:

परंतु यह कि विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग विधेयक के प्रारूप की प्रति प्रशासनिक उपाय के रूप में विचार करने के लिए उस विभाग को भेजेगा जिससे उसकी विषय-वस्तु संबंधित है और जिस विभाग को यह अग्रेषित किया जाता है वह तत्काल ऐसी जांच करेगा जो वह उचित समझे और इस विषय पर उसे प्राप्त प्रत्येक पत्र की प्रति के साथ इस पर अपनी राय विधि, न्याय एवं संसदीय कार्य विभाग को भेजेगा।

38. (1) जब कभी विधान सभा का कोई गैर-सरकारी सदस्य विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगने के अपने आशय की सूचना देता है तो सचिव (विधान सभा) उक्त विधेयक की प्रति तथा उद्देश्यों और कारणों का कथन, प्रत्यायोजित विधान से संबंधित ज्ञापन और वित्तीय ज्ञापन, यदि कोई हो, की प्रति तत्काल मुख्यमंत्री, विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी-मंत्री तथा उस विभाग को भेजेगा जिससे प्रस्ताव संबंधित है।
- (2) इस विधेयक का विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग द्वारा पहले एक प्रस्ताव के रूप में निपटान किया जाएगा जो राष्ट्रपति अथवा उप राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति तथा उपाय को अधिनियमित करने के लिए विधानसभा की सक्षमता जैसे इसके तकनीकी पहलुओं पर विचार करेगा और तत्पश्चात् विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग इसे, अपनी राय के साथ, उस विभाग को भेजेगा जिससे वह संबंधित हो।
- (3) यदि इस प्रकार के विधेयक के किसी प्रावधान में संघ राज्यक्षेत्र की समेकित निधि से कम व्यय शामिल हो तो इसे परिचालित किए जाने से पूर्व विभाग, वित्त विभाग के परामर्श से, विधेयक के संबंध में वित्तीय ज्ञापन तैयार करेगा।
39. नियम 38 के प्रावधान, जहां तक संभव होगा, प्रवर समिति द्वारा संस्तुत सभी महत्वपूर्ण संशोधनों और ऐसे सभी संशोधनों के लिए लागू होगा जिसका नोटिस उस विधान मंडल में विधेयक पर विचार किए जाने के दौरान प्रस्तुत किए जाने के लिए, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा दिया जाए।

40. (1) जब कोई विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो इसकी संबंधित विभाग और विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग में जांच की जाएगी और इसे निम्नलिखित के साथ उप राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा-

- (क) ऐसे किसी कारण, यदि कोई हो, कि उप राज्यपाल की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए, के संबंध में संबंधित विभाग के सचिव की रिपोर्ट; और
- (ख) ऐसे कारणों, यदि कोई हों, कि उप राज्यपाल की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए और विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, के संबंध में विधि सचिव की रिपोर्ट।

(2) जहां उप राज्यपाल यह निदेश दें कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाना चाहिए अथवा अधिनियम की धारा 38 के प्रथम परंतुक में किए गए उल्लेख के अनुसार पुनर्विचार के संदेश के साथ विधानसभा को लौटा दिया जाना चाहिए, इस संबंध में आवश्यक कार्यवाई संबंधित प्रशासनिक विभाग के सचिव और विधि सचिव के परामर्श से उप राज्यपाल के सचिव द्वारा की जाएगी।

(3) उप राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति जैसा भी मामला हो, की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग विधेयक को विधान सभा के अधिनियम के रूप में राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए कदम उठाएगा।

41. जब कभी कोई विभाग (विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग से भिन्न) निम्नलिखित का प्रस्ताव करे-

- (i) सांविधिक नियम, अधिसूचना अथवा आदेश जारी करने के लिए;
- (ii) किसी सांविधिक परंतुक के अंतर्गत अधीनस्थ प्राधिकारी के द्वारा कोई नियम, उप-विधि बनाने, अधिसूचना अथवा आदेश जारी करने की अनुमति प्रदान करने के लिए; अथवा
- (iii) सरकार द्वारा जारी करने के लिए किसी सांविधिक नियम, अधिसूचना अथवा आदेश का कोई प्रारूप केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करने के लिए;

तो वह प्रारूप जांच के लिए विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग को अग्रेषित किया जाएगा।

42. (1) सभी प्रशासनिक विभाग निम्नलिखित के बारे में विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग से परामर्श करेंगे-

- (क) विधायन के प्रस्ताव;
 - (ख) सांविधिक नियम, आदेश, अधिसूचनाएं, उप-विधियां, विनियम, योजनाएं आदि तैयार करना;
 - (ग) किसी मामले से संबंधित कोई सामान्य विधिक सिद्धान्त;
 - (घ) किसी प्रशासनिक विभाग के कहने पर कोई अभियोग चलाना अथवा वापस लेना;
- और

(2) ऐसे प्रत्येक मामले के साथ मामले के तथ्यों तथा बिंदु अथवा बिंदुओं, जिन पर विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग की सलाह वांछित हो, का सही विवरण भेजा जाएगा।

अध्याय -4

उप राज्यपाल के कार्यकारी कार्यों से संबंधित कारबार का निपटान

43. उप राज्यपाल अपने कार्यकारी कार्यों से संबंधित कारबार के निर्वहन और निपटान को लिखित में स्थायी आदेशों के द्वारा विनियमित करेंगे :

परंतु यह कि स्थायी आदेश इस अध्याय, अध्याय V और समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे:

परंतु यह और कि 'लोक व्यवस्था', 'पुलिस', 'अखिल भारतीय सेवाओं' और 'भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो' से संबंधित सभी मामलों के संबंध में उप राज्यपाल अधिनियम के अंतर्गत अपने विवेकाधिकार से अपने कार्यकारी कार्यों का निर्वहन करेंगे।

परंतु यह भी कि लोक व्यवस्था, पुलिस और आईपीएस अधिकारियों से संबंधित मामले मुख्य सचिव के माध्यम से प्रधान सचिव, गृह द्वारा उप राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे।

परंतु यह भी कि अखिल भारतीय सेवाओं (आइएस और आईएफएस) तथा भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो से संबंधित मामले आयुक्त या सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उप राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे।

44. (1) संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं और पुलिस से संबंधित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों के संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श से उप राज्यपाल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कार्यों का निर्वहन करेंगे जो ऐसे व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों और आदेशों के प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें सौंपी जाएं।
- (2) उप-नियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, उप राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग अथवा जम्मू - कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के लोक सेवा आयोग से ऐसे सभी मामलों पर परामर्श करेंगे जिन पर संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के अंतर्गत आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित हो; और ऐसे प्रत्येक मामले में वह संघ लोक सेवा आयोग अथवा जम्मू - कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र लोक सेवा आयोग, जैसा भी मामला हो की सलाह के अन्यथा कोई आदेश नहीं करेंगे जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा उन्हें ऐसा करने के लिए प्राधिकृत न किया जाए।
- (3) संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में सेवारत व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों के संबंध में लोक सेवा आयोग तथा केंद्रीय सरकार से समस्त पत्राचार उप राज्यपाल के निदेश से मुख्य सचिव अथवा संबंधित विभाग के सचिव अथवा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

45. ऐसे मामले में, जिसके संबंध में इन नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया हो, उप राज्यपाल इस मामले में अपनी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करने से पूर्व केंद्रीय सरकार से परामर्श करेंगे।

अध्याय-5

मामले को केंद्रीय सरकार को भेजना

46. किसी मामले में उप राज्यपाल और किसी मंत्री के बीच मतभेद की स्थिति में किसी मामले में ऐसे मतभेद की तारीख से दो सप्ताह के भीतर किसी मुद्दे, जिस पर मतभेद पैदा हुआ हो, का समाधान करने के लिए उप राज्यपाल चर्चा के द्वारा प्रयास करेंगे। यदि फिर भी, मतभेद जारी रहे तो उप राज्यपाल यह निर्देश दे सकते हैं कि इस मामले को परिषद को भेजा जाए जो अपनी होने वाली अगली बैठक में इस मामले पर विचार करेगी और मामले को उसे भेजे जाने की तारीख के 15 दिन के भीतर अपना निर्णय देगी।

यदि मामले को भेजे जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर कोई निर्णय प्राप्त न हो तो उप राज्यपाल के निर्णय को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकार किया गया मान लिया जाएगा।

47. किसी मामले के संबंध में उप राज्यपाल और परिषद के बीच मतभेद होने की स्थिति में उप राज्यपाल इसे राष्ट्रपति के निर्णयार्थ केंद्रीय सरकार को भेजेगा और राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार कार्रवाई करेगा।

48. नियम 47 के अनुसरण में जब कोई मामला केंद्रीय सरकार को भेजा जाता है तो उप राज्यपाल यह निर्देश देने के लिए सक्षम होंगे कि ऐसे मामले अथवा ऐसे किसी मामले, जो उनकी राय में ऐसा मामला है कि इसमें यह आवश्यक है कि ऐसा निर्देश देने के लिए अथवा मामले में ऐसी कार्रवाई करने के लिए, जो वह आवश्यक समझे, राष्ट्रपति का निर्णय न होने तक कार्रवाई निलंबित रखी जाएगी।

49. जहां नियम 48 के अनुसरण में उप राज्यपाल द्वारा निर्देश दिया गया हो तो संबंधित सचिव उस निर्देश को प्रभावी बनाने की कार्रवाई करेगा।

50. (1) उप राज्यपाल ऐसे प्रत्येक विधायी प्रस्ताव को केंद्रीय सरकार को भेजेगा-

- (क) जो यदि विधेयक के रूप में पुरःस्थापित किया जाता है और विधानसभा द्वारा अधिनियमित कर दिया जाता है तो इसे अधिनियम की धारा 38 के दूसरे परंतुक के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाना अपेक्षित हो;
- (ख) जिसमें संघ राज्यक्षेत्र के लिए लागू संविधान के अनुच्छेद 286, 287, 288 और 304 के प्रावधान लागू होते हों;
- (ग) जो किसी ऐसे मामले से संबंधित हो जिसके लिए अंततः समेकित निधि से अधिकांश व्यय के माध्यम से अथवा राजस्व का परित्याग करके अथवा किसी कर की दर को कम करके केंद्रीय सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवश्यक हो।

(2) केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले किन्हीं अनुदेशों के अध्याधीन उप राज्यपाल निम्नलिखित मामलों के संबंध में गृह मंत्रालय में केंद्रीय सरकार को अथवा उपयुक्त मंत्रालय को पूर्व पत्र भेजेगा तथा जिसकी प्रति गृह मंत्रालय को भेजेगा-

- (क) राज्य सरकार, भारत के उच्चतम न्यायालय अथवा अन्य किसी उच्च न्यायालय के साथ केंद्रीय सरकार के संबंधों को प्रभावित करने संबंधी प्रस्ताव;
- (ख) मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव;
- (ग) ऐसे महत्वपूर्ण मामले जिनसे संघ राज्यक्षेत्र की शान्ति और अमन प्रभावित होता हो या प्रभावित होने की संभावना हो; और
- (घ) ऐसे मामले जिनसे किसी अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जातियों अथवा पिछड़े वर्ग प्रभावित होते हों या प्रभावित होने की संभावना हो।

51. नियम 48 के प्रावधानों के अध्याधीन जब उप राज्यपाल द्वारा इन नियमों के अंतर्गत कोई मामला केंद्रीय सरकार को भेजा गया हो तो केंद्रीय सरकार के निर्णय के सिवाय उस पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अध्याय – 6

प्रकीर्ण

52. उचित कार्य संचालन और इन नियमों का सावधानीपूर्वक पालन किए जाने के लिए संबंधित विभाग का सचिव जिम्मेदार होगा और यदि वह यह समझे कि इन नियमों से काफी हटकर कार्रवाई की गई हो तो वह इसे व्यक्तिगत रूप से मुख्य सचिव, प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल के ध्यान में लाएगा।

पहली अनुसूची

[नियम 4 (1)]

जम्मू - कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के विभागों के बीच कार्यों का वितरण

पहली अनुसूची

[नियम 4 (1)]

क्र. सं.	विभाग का नाम	सौंपे गए विषय
1.	प्रशासनिक सुधार, निरीक्षण, प्रशिक्षण और शिकायत विभाग	1. प्रशासनिक सुधार 2. व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड 3. शैक्षिक ऋण छात्रवृत्ति 4. सरकारी मुद्रणालय 5. निरीक्षण

		6. संगठन और पद्धति 7. लोक शिकायतों का निराकरण 8. लेखन सामग्री एवं कार्यालय आपूर्तियां 9. प्रशिक्षण
2.	कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग	1. कृषि 2. कृषि शिक्षा 3. कृषि उद्योग विकास निगम 4. एप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम 5. कमांड एरिया डेवलेपमेंट 6. भूमि प्रयोग विकास बोर्ड 7. रखस और फार्म 8. शेयर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एसकेयूएसटी) जम्मू/कश्मीर। 9. डीडीपी और डीआरएपी आदि जैसे विशेष कार्यक्रम 10. रेशम उत्पादन 11. जम्मू एवं कश्मीर किसान विकास राज्य सलाहकार बोर्ड।
3.	पशु/भेड़ पालन और मत्स्यपालन	1. पशुपालन 2. पशुधन विकास बोर्ड जम्मू/कश्मीर 3. जम्मू एवं कश्मीर दुग्ध उत्पादन सहकारी लिमिटेड 4. जम्मू एवं कश्मीर भेड़ एवं भेड़ उत्पाद विकास बोर्ड 5. भेड़ पालन 6. फिशरीज डेवलेपमेंट 7. मिशन डेयरी डेवलेपमेंट
4.	नागर विमानन	1. नागर विमानन
5.	संस्कृति	1. कला, संस्कृति और भाषा. 2. अभिलेखागार, पुरातत्व विज्ञान और संग्रहालय 3. पुस्तकालय एवं अनुसंधान 4. गेजेटेयर्स यूनिट
6.	सहकारिता	1. सहकारिता 2. सहकारी बैंक
7.	विद्यालय शिक्षा	1. विद्यालय शिक्षा
8.	उच्चतर शिक्षा	1. उच्चतर शिक्षा 2. विश्वविद्यालय
9.	युवा सेवाएं एवं खेल	1. युवा सेवाएं एवं खेल 2. खेल परिषद
10.	कौशल विकास विभाग	1. तकनीकी शिक्षा 2. कौशल विकास मिशन 3. फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट 4. क्राफ्ट डेवलेपमेंट इंस्टीट्यूट

11.	निर्वाचन	1. मताधिकार 2. निर्वाचन
12.	वित्त विभाग	1. लेखा और कोषागार 2. बैंकिंग और संस्थागत वित्त. 3. उत्पाद शुल्क और कराधान 4. वित्त 5. निधि संचालन 6. जम्मू -कश्मीर राज्य वित्त निगम 7. लोक उद्यम
13.	खाद्य, सिविल आपूर्ति एवं सार्वजनिक मामले विभाग	1. उपभोक्ता मामले 2. खाद्य, आपूर्ति और प्रबंधन 3. मूल्य नियंत्रण 4. लीगल मेट्रोलॉजी
14.	वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग	1. वन 2. आईडब्ल्यूडीपी 3. जम्मू - कश्मीर वन निगम 4. मृदा और जल संरक्षण 5. विश्व बैंक परियोजना सहित सामाजिक वानिकी 6. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 7. जम्मू- कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 8. वन संरक्षण बल 9. वन्य जीव संरक्षण 10. राज्य वन अनुसंधान संस्थान 11. पर्यावरणीय मुद्दे
15.	पुष्प कृषि विकास	1. पुष्प कृषि 2. उद्यान और पार्क
16.	सामान्य प्रशासन विभाग	1. सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यकरण का समन्वय 2. मंत्रिमंडल संबंधी कार्य 3. सेवा चयन बोर्ड 4. कार्मिक प्रशासन 5. लोक सेवा आयोग 6. सचिवालय प्रशासन 7. सेवाएं 8. लोक प्रशासन प्रबंधन संस्थान 9. सतर्कता आयोग 10. सूचना का अधिकार

		11. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 12. लद्दाख संबंधी मामले
17.	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 2. चिकित्सा शिक्षा 3. जम्मू - कश्मीर द्रव्य और खाद्य नियंत्रण संगठन 4. जम्मू - कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम 5. राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण 6. भारतीय चिकित्सा प्रणाली 7. राज्य चिकित्सकीय पौधा बोर्ड 8. शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान
18.	गृह विभाग	1. डिफेंस लेबर प्रोक्योरमेंट . 2. अग्नि शमन और आपात सेवाएं 3. होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा मोचन बल 4. जेल 5. पुलिस प्रशासन 6. सैनिक कल्याण 7. सिविल मिलिट्री लायजन 8. विधि विज्ञान प्रयोगशाला 9. अभियोजन निदेशालय 10. पुलिस आवास निगम
19.	आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल	1. आतिथ्य और प्रोटोकॉल 2. संपदा 3. रेजीडेंट कमीशन और ट्रेड एजेंसियां 4. तोशखाना
20.	आवास और शहरी विकास विभाग	1. जम्मू -कश्मीर आवास सहित शहरी आवास बोर्ड 2. शहरी परिवहन सहित शहरी विकास, जम्मू एवं श्रीनगर मास रेपिड ट्रांजिट कॉर्पोरेशन 3. टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन 4. जम्मू - कश्मीर वास्तुकार संगठन 5. अर्बन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (यूईईडी) 6. शहरी स्थानीय निकाय, म्यूनिसिपल निकाय एवं नगर निगम एजेंसियां 7. विकास प्राधिकरण 8. बिल्डिंग सेंटर्स, जम्मू, श्रीनगर 9. जम्मू, श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

		10. जम्मू-कश्मीर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी 11. जम्मू, श्रीनगर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण
21.	उद्योग और वाणिज्य विभाग	1. उद्योग और वाणिज्य 2. हैण्डिक्राफ्ट्स 3. हथकरघा 4. जम्मू - कश्मीर सीमेंट 5. जम्मू - कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स (बिक्री और निर्यात निगम लिमिटेड) 6. जम्मू - कश्मीर हथकरघा विकास निगम 7. जम्मू - कश्मीर उद्योग लिमिटेड 8. जम्मू - कश्मीर खनिज लिमिटेड 9. जम्मू - कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 10. जम्मू - कश्मीर लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड 11. जम्मू - कश्मीर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 12. इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 13. जम्मू - कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन 14. जम्मू एवं कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान 15. भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान
22.	सूचना विभाग	1. सूचना 2. प्रचार एवं लोक संबंध
23.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1. ई-गवर्नेंस 2. कम्प्यूटरराइजेशन, डिजिटलाइजेशन एवं ऑटोमेशन 3. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी
24.	श्रम और रोजगार विभाग	1. कर्मचारी बीमा योजना 2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना 3. श्रम प्रशासन 4. श्रमिक कल्याण 5. रोजगार 6. केन्द्रीय योजनाओं सहित स्व-रोजगार योजनाएं 7. जम्मू - कश्मीर निर्माण श्रमिक कल्याण निगम
25.	विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग	1. विधायन 2. न्यायपालिका 3. विधि 4. संसदीय कार्य 5. विशेष अधिकरण

		6. जम्मू - कश्मीर विधिक सहायता और सलाहकार बोर्ड
26.	खनन	1. भू-विज्ञान और खनन
27.	प्लानिंग, डेवलेपमेंट एंड मॉनीटरिंग डिपार्टमेंट	1. कार्यक्रम कार्यान्वयन 2. मूल्यांकन एवं सांख्यिकी 3. प्लानिंग 4. जनगणना संबंधी कार्य
28.	विद्युत विकास विभाग	1. जम्मू-कश्मीर विद्युत विकास निगम 2. विद्युत विकास 3. 02 मेगावाट क्षमता से अधिक की हाइड्रो और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का विकास 4. जम्मू-कश्मीर विद्युत विनियामक आयोग 5. सभी विद्युत निगम
29.	लोक निर्माण कार्य (आर एंड बी)	1. डिजाइन्स ऑर्गेनाइजेशन 2. जम्मू-कश्मीर परियोजना निर्माण निगम 3. मैकेनिकल डिपार्टमेंट 4. सड़क और भवन 5. सामानों की खरीद
30.	जल शक्ति विभाग	1. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण 2. पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 3. जम्मू-कश्मीर जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण
31.	राजस्व विभाग	1. निष्क्रान्त संपत्तियों का प्रबंधन 2. हज और वक्फ़ 3. भू अभिलेख 4. भूमि अधिग्रहण/हस्तांतरण 5. बंदोबस्त
32.	ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग	1. सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 2. जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां (डी आर डी ए एस) 3. पंचायतें 4. ग्रामीण विकास 5. रूरल इंजीनियरिंग 6. ग्रामीण साफ-सफाई 7. एप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम(ए एन पी)
33.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	1. रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफीकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम 2. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार 3. बायोटेक्नोलॉजी 4. नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा

		5. भू-विज्ञान एवं पृथ्वी विज्ञान 6. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत (02 मेगावाट की क्षमता से अधिक की सोलर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को छोड़कर)
34.	समाज कल्याण	1. सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण 2. महिला और बाल विकास 3. अल्पसंख्यक मामले 4. विभिन्न समाज कल्याण बोर्ड
35.	पर्यटन विभाग	1 जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग लिमिटेड 2 पर्यटन 3 पर्यटन विभाग प्राधिकरण, हैरिटेज सोसाइटीज 4 जम्मू-कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड 5 शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर 6 जम्मू -कश्मीर गोल्फ कोर्स, गोल्फ डेवलेपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑथरिटीज 7 श्राइन बोर्ड
36.	परिवहन	1. जम्मू -कश्मीर एसआरटीसी 2. राज्य मोटर गैरेज 3. मोटर वाहन विभाग 4. राज्य परिवहन प्राधिकरण 5. जम्मू -कश्मीर सड़क सुरक्षा परिषद
37.	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण	1. आपात राहत संगठन 2. आपदा प्रबंधन 3. राहत एवं पुनर्वास 4. कश्मीरी प्रवासियों से संबंधित सभी मुद्दों का प्रबंधन 5. विस्थापित व्यक्तियों (1947 के विस्थापित व्यक्तियों, छम्ब के 1965/71 के विस्थापित व्यक्तियों और पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों) से संबंधित मुद्दे। 6. नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी से प्रभावित लोगों से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन
38.	जनजातीय कार्य	1. जनजातीय कार्य 2. जम्मू-कश्मीर गुज्जर और बक्करवाल विकास सलाहकार बोर्ड.
39.	बागवानी	1. बागवानी 2. बागवानी योजना और विपणन 3. बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड

दूसरी अनुसूची
(नियम 7 और 8)

1. विधानसभा का सत्र बुलाने तथा सत्रावकाश करने और इसे भंग करने संबंधी प्रस्ताव
2. विधानसभा के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुपूरक मांग, अतिरिक्त अथवा अतिरिक्त अनुदान।
3. विधानसभा में पेश किए जाने वाले किसी संकल्प अथवा विधेयक के पुरःस्थापन से संबंधित प्रस्ताव।
4. कोई नया कर लगाने अथवा किसी मौजूदा कर अथवा भू-राजस्व के आकलन के तरीके में बदलाव से संबंधित प्रस्ताव।
5. संघ राज्यक्षेत्र के वित्त को प्रभावित करने वाले प्रस्ताव जिनको वित्त मंत्री की सहमति प्राप्त न हो।
6. पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव जिनके लिए वित्त मंत्री की सहमति अपेक्षित हो तथा वह रोक ली गई हो।
7. ऐसे प्रस्ताव, जिनमें सरकारी संपत्ति का अस्थायी अथवा स्थायी हस्तान्तरण, बिक्री, अनुदान अथवा पट्टा अथवा राजस्व का परित्याग अथवा कमी शामिल हो, सिवाय तब जब सरकारी संपत्ति का इस प्रकार का हस्तान्तरण, बिक्री अनुदान अथवा पट्टा या राजस्वों का परित्याग अथवा उनमें कमी नियमों के अनुसार हो अथवा परिषद द्वारा पहले से अनुमोदित सामान्य स्कीम के अनुसार हो।
8. संघ राज्यक्षेत्र की वित्तीय राशियों की वार्षिक लेखापरीक्षा समीक्षा और लोक लेखा समिति की रिपोर्ट।
9. नीति अथवा प्रक्रिया में किसी महत्वपूर्ण बदलाव से संबंधित प्रस्ताव।
10. किसी ऐसे सरकारी पद के सृजन अथवा उसे समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव जिसके लिए अधिकतम पारश्वमिक 47600-151100 (स्तर-8) से अधिक हो।
11. विभाग की पहल पर अथवा विधानसभा द्वारा पारित संकल्प के अनुसरण में जांच समितियों का गठन तथा इन समितियों की रिपोर्टें।
12. ऐसे प्रस्ताव अथवा मामले जिन्हें उप राज्यपाल अथवा मुख्यमंत्री द्वारा परिषद के समक्ष लाया जाना जरूरी समझा जाए।
13. अध्यादेश के मुद्दे सहित मसौदा विधेयक और विधायन के प्रस्ताव।
14. परिषद् द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय में बदलाव करने अथवा उसे उलटने के प्रस्ताव।
15. परिषद किसी भी समय विभागों का पुनर्गठन कर सकती है, नए विभागों का सृजन कर सकती है, विभागों के बीच सरकारी कार्यों को पुनर्वर्गीकृत कर सकती है तथा उनका नए सिरे से वितरण कर सकती है।

[फा. सं.11012/27/2020-एसआरए]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th August, 2020

G.S.R. 534(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019, read with the Proclamation, dated 31st October, 2019 issued under section 73 of the said Act, the President hereby makes the following rules, namely:

CHAPTER – I**Preliminary**

1. These rules may be called the Transaction of Business of the Government of Union territory of Jammu and Kashmir Rules, 2019.
2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) "the Act" means the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019 (34 of 2019);
 - (b) "Lieutenant Governor" means the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir;
 - (c) "Union territory" means the Union territory of Jammu and Kashmir;
 - (d) "Council" means the Council of Ministers appointed under section 54 of the Act;
 - (e) "Chapter" means a Chapter of these rules;
 - (f) "Department" means a Department or office specified in the First Schedule annexed to the Transaction of Business of the Government of Union territory of Jammu and Kashmir Rules, 2019;
 - (g) "Government" means the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir;
 - (h) "Legislative Assembly" or "Legislature of the Union territory" means the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir;
 - (i) "Minister" means a Member of the Council of Ministers;
 - (j) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules;
 - (k) "Secretary" means an Administrative Secretary to the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir and includes Principal Secretary or Secretary to the Lieutenant Governor, being the official head of the Department.
 - (2) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act ;
 - (3) Unless the context otherwise requires, the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply for the interpretation of these rules as it applies for the interpretation of a Central Act.

CHAPTER-II**General**

3. (1) All contracts in connection with the administration of the Union territory shall be expressed to be made by the President and shall be executed on behalf of the President by the Lieutenant Governor, or a person authorised by the Lieutenant Governor.
- (2) A person authorised to execute and sign contracts referred to in sub-rule (1) shall execute such contracts within the financial powers delegated to him and in all cases involving exercise of financial powers in excess of those delegated to him, such contracts shall be executed after obtaining the sanction of the competent authority.
- (3) Every order or instrument of the Government of the Union territory shall be signed either by the Chief Secretary, Secretary, Special Secretary, Additional Secretary, Deputy Secretary or an Under Secretary to the Government or such other officer as may be specially empowered by the Lieutenant Governor in this behalf and such signature shall be deemed to be the proper authentication of such order or instrument.

CHAPTER –III**Disposal of Business allocated among Ministers**

4. (1) The Business of the Government shall be transacted in the Departments specified in the First Schedule, and shall be classified and distributed between those departments as laid down therein.
- (2) The Lieutenant Governor on the advice of the Chief Minister shall allot among the Ministers the business of the Government by assigning one or more departments to a Minister.
- (3) The Council shall be collectively responsible for all the executive orders issued by any Department in the name of the Lieutenant Governor and contracts made in the name of the President in connection with the administration of the Union territory whether such orders or contracts are authorised by a Minister in respect of a matter pertaining to the Department under his charge or as a result of discussions at a meeting of the Council.
5. (1) Unless the proposal is fully covered by the power to sanction expenditure or to appropriate or re-appropriate funds conferred, by any general or special orders issued by the Finance Department, no Department shall, without the previous concurrence of the Finance Department, issue any order which may
 - (a) involve any abandonment of revenue or involve any expenditure for which no provision has been made in the Appropriation Act;
 - (b) involve any grant of land or assignment of revenue or concession, grant, lease or licence or mineral or forest rights or a right to water, power or any easement or privilege;
 - (c) relate to the number or grade of posts or to the strength of a service, or to the pay or allowance of government servants or to any other conditions or their service having financial implications; or
 - (d) otherwise have a financial bearing whether involving expenditure or not:

Provided that no order of the nature specified above shall be issued in respect of the Finance Department and the departments and the agencies there under, without the previous concurrence of the General Administration Department.

 - (2) No proposal which requires previous concurrence of the Finance Department under this rule, but with which the Finance Department has not concurred, may be proceeded with, unless a decision to that effect has been taken by the Council and approved by the Lieutenant Governor.
 - (3) No re-appropriation shall be made by any Department other than the Finance Department, except in accordance with such general delegation of power of re-appropriation as the Finance Department may make.
 - (4) Except to the extent that power may have been delegated to the Departments under the rules duly approved by the Finance Department, every order of an administrative Department conveying a sanction to be enforced in audit shall be communicated to the audit authorities by the Finance Department.
 - (5) Nothing in this rule shall be construed as authorizing any authority or Department, including the Finance Department
 - (a) to make re-appropriations from one 'Grant' or 'Appropriation for charged expenditure' to another Grant or Appropriation for charged expenditure;
 - (b) to re-appropriate funds provided for charged expenditure to meet votable expenditure;
 - (c) to re-appropriate funds provided for voted expenditure to meet charged expenditure;
 - (d) to appropriate or re-appropriate funds to meet expenditure on a new service not contemplated in the budget as approved by the Legislative Assembly.
6. The Chief Secretary shall be the Secretary to the Council and the Principal Secretary or Secretary to Lieutenant Governor shall be the Joint Secretary to the Council and when the Secretary to the Council is absent, the Joint Secretary shall perform the duties of Secretary.

7. Subject to the orders of the Chief Minister under rule 8, all proposals referred to in the Second Schedule shall be placed before the Council in accordance with the provisions contained in this Chapter:

provided that no proposal in regard to which the Lieutenant Governor has to act in his discretion under the Act shall be placed before the council for its consideration:

provided further that no proposal in regard to which the concurrence of the Finance Department is required under rule 5(1) shall, save in exceptional circumstances and under the directions of the Chief Minister, be discussed by the Council unless the Finance Minister has had opportunity of considering it:

Provided also that in case of Proclamation under Section 73 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 is in force, the Lieutenant Governor shall determine the manner in which proposals under this Chapter are to be disposed off.

8. All proposals referred to in the Second Schedule shall be submitted to the Chief Minister, after consideration by the Minister-in-charge, with a view to obtaining his orders for the circulation of the proposals under rule 9 or for placing it for consideration of the Council.

9. (1) The Chief Minister may direct that any proposal submitted to him under rule 8 may, instead of being placed for discussion in a meeting of the Council, be circulated to the Ministers for opinion, and if all the Ministers are unanimous and the Chief Minister is of the opinion that discussion in a meeting of the Council is not required, the proposal shall be treated as finally approved by the Council and in case, Ministers are not unanimous or if the Chief Minister is of the opinion that a discussion in a meeting is required, the proposal shall be discussed in a meeting of the Council.

(2) If it is decided to circulate any proposal, the Department to which it belongs, shall prepare a memorandum setting out in brief the facts of the proposal, the points for decision and the recommendations of the Minister-in-charge and forward copies thereof to the Secretary to the Council who shall arrange to circulate the same among the Ministers and simultaneously send a copy thereof to the Lieutenant Governor.

(3) The Secretary of the Department concerned shall be responsible for preparing and authenticating every memorandum for consideration of the Council and for obtaining approval of the Minister in charge and the Chief Minister.

(4) The Secretary to the Council shall ensure that only such proposals are placed before the Council on which the aid and advice of the Council is required.

(5) The Secretary to the Council shall ensure that Minutes of the Meeting of the Council are issued only for such proposals as are referred to in Sub-Rule (3) above.

10. (1) While directing that a proposal shall be circulated, the Chief Minister may also direct, if the matter be of urgent nature, that the Ministers shall communicate their opinion to the Secretary to the Council by a particular date, which shall be specified in the memorandum referred to in rule 9.

(2) If any Minister fails to communicate his opinion to the Secretary to the Council by the date so specified in the memorandum, it shall be assumed that he has accepted the recommendations contained therein.

(3) If the Minister has accepted the recommendations contained in the memorandum or the date by which he was required to communicate his opinion has expired, the Secretary to the Council shall submit the proposal to the Chief Minister.

(4) If the Chief Minister accepts the recommendations and if he has no observation to make, he shall return the proposal with his orders thereon to the Secretary to the Council.

(5) On receipt of the approval of the Chief Minister, the Secretary to the Council shall communicate the decision to the Lieutenant Governor and to the Secretary concerned who shall thereafter take necessary steps to issue the orders unless a reference to the Central Government is required in pursuance of the provisions of Chapter-V.

11. When it has been decided to place a proposal before the Council, the Department to which it belongs, shall, unless the Chief Minister otherwise directs, prepare a memorandum indicating precisely the salient facts of the proposal and the points for decision and copies of the memorandum and such other documents, as are necessary to enable the proposal to be disposed of shall be forwarded to the Secretary to the Council who shall arrange to circulate the memorandum to the Ministers and simultaneously send a copy thereof to the Lieutenant Governor.

12. In the proposals, which relate to more than one Department, the Minister shall, consult the other Minister concerned to arrive at an agreement. If an agreement is reached, the memorandum referred to in rule 9 or rule 11, shall contain the joint recommendations of the Ministers; and if no agreement is reached, the memorandum shall state the points of difference and the recommendations of each of the Ministers concerned.

13. (1) The council shall meet at such place and time as the Chief Minister may direct.

(2) Except with the permission of the Chief Minister, no case shall be placed on the agenda of a meeting unless papers relating thereto have been circulated as required under rule 11.

(3) After an agenda showing the proposals to be discussed in a meeting of the Council has been approved by the Chief Minister, copies thereof, together with copies of such memoranda as have not been circulated under rule 11, shall be sent by the Secretary to the Council, to the Lieutenant Governor, the Chief Minister and other Ministers, so as to reach them atleast two days before the date of such meeting: Provided that the Chief Minister may, in case of urgency, curtail the said period of two days.

(4) If any Minister is on tour, the agenda shall be forwarded to the Secretary in the Department concerned who, if he considers that the discussion on any proposal should await the return of the Minister, may request the Secretary to the Council to take the orders of the Chief Minister for a postponement of the discussion on the proposal until the return of the said Minister.

(5) The Chief Minister, or in his absence any other Minister nominated by the Chief Minister, shall preside at the meeting of the Council.

(6) If the Chief Minister so directs, the Secretary of the Department concerned may be required to attend the meeting of the Council.

(7) The Secretary to the Council shall attend all the meetings of the Council and shall prepare a record of the decisions. He shall forward a copy of such record to Ministers and the Lieutenant Governor.

14. (1) The decision of the Council relating to each proposal shall be separately recorded and after approval by the Chief Minister, or the Minister presiding, shall be placed with the records of the proposal and after approval by the Chief Minister or the Minister presiding, the decision of the Council as approved, shall be forwarded by the Secretary to the Council to the Lieutenant Governor.

(2) Where a proposal has been approved by the Council and the approved record of the decision has been communicated to the Lieutenant Governor, the Secretary concerned shall take necessary action to give effect to the decision unless a reference to the Central Government is required in pursuance of the provisions of Chapter-V.

DEPARTMENTAL DISPOSAL OF BUSINESS

A-GENERAL

15. (1) Except as otherwise provided by or under these rules, proposals or matters may be disposed of by or under the authority of the Minister-in-charge who may, by means of standing orders, give such directions in consultation with the Secretary of the Department, for the disposal of proposals or matters in his Department. Copies of such standing orders shall be forwarded to the Lieutenant Governor and the Chief Minister.

(2) The Department shall be headed by the Secretary who shall allocate the work among the officers of the Administrative Secretariat for the concerned Department.

(3) In case of disagreement between the Minister in charge and Secretary of the Department, on Clause (1) of rule 15, the matter shall be submitted to the Chief Minister through the Chief Secretary.

16. Minister shall, by means of standing orders, in consultation of the Secretary of the Department decide what matters or classes of matters are to be brought to his personal notice. Copies of such standing orders shall be forwarded to the Lieutenant Governor and the Chief Minister:

Provided that when the case relates to a matter in which the Minister concerned has a personal interest, it shall be submitted to the Chief Minister for orders.

17. (1) When the subject of any proposal or matter relates to more than one department, no order shall be issued (nor shall the proposal be placed before the Council) till it has been considered by all the Departments concerned and the Chief Secretary.

(2) If the Departments concerned are not in agreement regarding such a proposal, the Minister-in-charge of any one of the Departments, may, if he wishes to proceed with the proposal, direct that the proposal be submitted to the Chief Minister through Chief Secretary for order or direction or for laying it before the Council.

18. (1) A Secretary may call for and see the papers in any Department, other than the Finance Department or General Administration Department, if such papers are required for the disposal of any proposal or matter in his Department.

(2) A requisition made under sub-rule (1) shall be dealt with under the intimation to the Minister-in-charge.

- (3) (a) Minister may call for papers except those relating to matters in which the Lieutenant Governor has to act in his discretion under the Act, from any Department for his information:

Provided that if the paper is of a secret nature, it shall be forwarded to the Minister only after obtaining the necessary orders from the Minister-in-charge of the Department to which it belongs:

Provided further that no paper under disposal shall be forwarded to any Minister until it has been seen by the Minister-in-charge of the Department to which it belongs.

- (b) If the Minister is of the opinion that any further action should be taken on the papers called for by him from any Department he shall communicate his views to the Minister-in-charge of the Department concerned and in case of disagreement, may submit the case to the Chief Minister through the Chief Secretary with a request that the matter be laid before the Council and no further note shall be recorded until the matter is considered by the Council.
- (4) (a) The Chief Secretary may, on the orders of the Chief Minister or any Minister or of his own motion, call for and see the papers relating to any proposal or matter in any department and such requisition shall be complied with by the Secretary to the Department concerned.
- (b) The Chief Secretary may, after examination of the proposal or matter, submit it for the orders of the Chief Minister.
- (c) The General Administration Department shall be consulted on all matters involving-
- (a) the determination of the methods of recruitment and conditions of service of general application to Government servants in civil employment; and
- (b) the interpretation of the existing order of general application relating to such recruitment or conditions of service.
- (5) The Lieutenant Governor may call for papers relating to any proposal or matter in any Department and such requisition shall be complied with by the Secretary to the Department concerned. Secretary concerned shall simultaneously inform the Minister-in-charge of the department and the Chief Secretary of the action taken by him.

19. If at any stage it becomes difficult to determine to which department the proposal or matter belongs, the subject matter shall be referred for the decision of the Chief Secretary, who shall obtain the order of the Chief Minister.

20. All communications, received from the Central Government (including those from the Prime Minister and other Ministers of the Central Government, other than those of a routine or unimportant character, shall, as soon as possible after their receipt, be submitted by the Secretary, to the Chief Secretary, Minister-in-charge, the Chief Minister and Lieutenant Governor for information.

21. Any matter which is likely to bring the Government of the Union territory into controversy with the Central Government or with any State Government, shall, as soon as possible, be brought to the notice of the Lieutenant Governor and the Chief Minister by the Secretary concerned through the Chief Secretary.

22. The following classes of proposals or matters shall essentially be submitted to the Lieutenant Governor through the Chief Secretary, under intimation to the Chief Minister, before issuing any orders thereon, namely-

- (i) cases raising questions of policy;
- (ii) Matters which affect or are likely to affect the peace and tranquility of the Union Territory;
- (iii) matters which affect or are likely to affect the interest of any minority community, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes;
- (iv) matters which affect the relations of the Government with any State Government, the Supreme Court of India or the High Court of Jammu and Kashmir;
- (v) proposals or matters required to be referred to the Central Government under the Act or under Chapter-V;
- (vi) matters pertaining to the Lieutenant Governor's Secretariat and personnel establishment and other matters relating to his office;
- (vii) matters on which Lieutenant Governor is required to make order under any law or instrument in force;
- (viii) matters relating to summoning, prorogation and dissolution of the Legislative Assembly;
- (ix) cases relating to issue of rules under an Act in force in the Union territory;
- (x) any departure from these rules which comes to the notice of the Chief Secretary or the Secretary of any Department;
- (xi) matters relating to Annual Financial Statement and Plan evaluation; and
- (xii) any other proposals or matters of administrative importance which the Chief Minister may consider necessary.

23. Where the Lieutenant Governor is of the opinion that any further action should be taken or that action should be taken otherwise than in accordance with the orders passed by the Minister-in-charge, he may require the proposal or matter to be placed before the Council for consideration:

Provided that the notes, minutes or comments of the Lieutenant Governor in any such case shall not be brought on the Secretariat record unless the Lieutenant Governor so directs.

24. The Chief Minister shall-

- (a) cause to be furnished to the Lieutenant Governor such information relating to the administration of the Union territory and proposals for legislation as the Lieutenant Governor may call for; and
- (b) if the Lieutenant Governor so requires, submit for the consideration of the Council any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council.

B. FINANCE DEPARTMENT

25. The Finance Department shall be consulted in all matters in which its previous concurrence is necessary under these rules.
26. When the Finance Department is consulted under these rules, the views of that Department shall be brought on to the permanent record of the Department to which the case belongs and shall form part of the proposal.
27. Subject to the provisions of sub-rule (1) of rule 5, the Finance department may make rules to regulate the financial procedure.

C- LAW DEPARTMENT

28. Except as hereinafter provided, the Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs shall not be, in respect of a Legislation, an originating or initiating Department and its function will be to put into proper legal shape the proposals of Legislation on which the policy decision has been taken and every proposal to initiate legislation shall be considered in and if necessary, transferred to the Department to which the subject matter of the legislation relates and the necessity for legislation and all matters of substance to be embodied in the Bill shall be discussed and subject to rule 4, settled in such Department.
29. Proposal to initiate Legislation shall be treated as a case and shall be submitted to the Chief Minister through the Minister-in-charge of the Administrative Department and the Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs:
- Provided that the case shall not be submitted to the Chief Minister until the Department concerned has consulted the Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs as to-
- (i) the need for the proposed legislation from a legal point of view;
 - (ii) the competence of the Legislature of the Union territory to enact the measure proposed;
 - (iii) the requirement of the Constitution, Act or any other law for the time being in force as to the obtaining of previous sanction of the President, or recommendations of the Lieutenant Governor; and
 - (iv) the consistency of the proposed measure with the provisions of the Constitution and in particular those relating to the fundamental rights.
30. If it has been decided to process the legislative proposal, the department shall, if the proposal involves expenditure from the Consolidated Fund of the Union territory, prepare, in consultation with the Finance Department, a financial memorandum and the proposal shall be forwarded to the Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs requesting it to draft the Bill accordingly.
31. The Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs shall thereafter prepare a draft Bill, scrutinize the statement of objects and the reasons and return the case to the Department concerned.
32. The Administrative Department shall obtain the opinion of such officers and bodies as it deems necessary on the draft Bill and submit the opinion so received with a copy of the draft Bill to the Minister-in-charge.
33. If the draft Bill is approved by the Minister-in-charge, it shall be circulated to other Ministers and a copy thereof shall be supplied to the Lieutenant Governor and thereafter the draft shall be placed in a meeting of the Council in accordance with these rules.
34. If it is decided to proceed with the draft Bill with or without amendments, the Administrative Department shall send the case to the Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs requesting it to prepare a final draft of the Bill.
35. The Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs shall then finalise the draft and send it to the concerned Department indicating at the same time, the sanctions, if any required for the Bill. If any provisions in the Bill involving expenditure from the Consolidated Fund of the Union territory are modified in the finalized draft, the administrative Department shall send the finalized draft Bill to the Finance Department for revising the financial memorandum.

36. The Administrative Department shall then forward the final draft Bill to the Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs with the instructions of the Council thereon including instructions as to its introduction in the Legislative Assembly along with the copies of required statements and such as the Statement of Objects and Reasons, the Financial Memorandum, the Memorandum regarding Delegated Legislation, Memorandum regarding recommendations of the Lieutenant Governor, and the like and after such transfer, the proposal shall be deemed to belong to Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs.

37. Notwithstanding anything contained in rule 28, measures designed solely to codify and consolidate existing enactments and legislation of a formal character such as repealing and amending Bills, may be initiated in the Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs:

Provided that the Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs shall forward a copy of the draft Bill to the Department which is concerned with the subject matter, for consideration as an administrative measure and the Department to which it is forwarded shall forthwith make such enquiries as it thinks fit and shall send to the Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs its opinion thereon together with a copy of every communication received by it on the subject.

38. (1) Whenever a private member of the Legislative Assembly gives notice of his intention to move for leave to introduce a Bill, the Secretary (Legislative Assembly) shall, forthwith, send a copy of the said Bill and the Statement of Objects and Reasons, Memorandum regarding Delegated Legislation and Financial Memorandum, if any, for information of the Chief Minister, Minister in-charge of Law, Justice and Parliamentary Affairs and to the Department to which the proposal belongs.

(2) The Bill shall be dealt with as a proposal by the Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs in the first instance, which shall consider its technical aspects, such as, need for previous sanction of President or the Lieutenant Governor and competence of Legislative Assembly to enact the measure and thereafter the Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs shall forward it along with its opinion to the Department to which it belongs.

(3) If any provision of such Bill involves expenditure from the Consolidated Fund of the Union territory, the Department shall before it is circulated, prepare in consultation with the Finance Department, the Financial Memorandum in respect of the Bill.

39. The provisions of rule 38 shall apply, as far as may be, to all amendments of substance recommended by Select Committee and also to all amendments, notice of which is given by members of the Legislature for being moved during the consideration of a Bill in that Legislature.

40. (1) When a Bill has been passed by the Legislative Assembly it shall be examined in the Department concerned and the Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs and shall be presented to the Lieutenant Governor with-

(a) a report of the Secretary of the Department concerned as to the reason, if any, why the Lieutenant Governor's assent should not be given; and

(b) a report of the Law Secretary as to the reasons, if any, why the Lieutenant Governor's assent should not be given or the Bill should not be reserved for consideration of the President.

(2) Where the Lieutenant Governor directs that the Bill should be reserved for the consideration of the President or returned to the Legislative Assembly, together with a message for reconsideration as is mentioned in the first proviso to section 38 of the Act, necessary action in that behalf shall be taken by the Secretary to the Lieutenant Governor in consultation with Secretary to the administrative Department concerned and the Law Secretary.

(3) After obtaining the assent of the Lieutenant Governor or the President, as the case may be, the Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs shall take steps for publication of the Bill in the Official Gazette as an Act of the Legislative Assembly.

41. Whenever any Department (other than the Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs) proposes to-

(i) issue statutory rules, notification or order;

(ii) allow under a statutory proviso the making of any rule, bye-law, notification or order by subordinate authority; or

- (iii) submit to the Central Government any draft of a statutory rule, notification or order for issue by that Government,
- the draft shall be referred to the Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs for examination.
42. (1) All administrative Departments shall consult the Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs on—
- (a) proposals for legislation;
 - (b) the making of statutory rules, order, notifications, bye- laws, regulations, schemes, and the like
 - (c) any general legal principles arising out of any case;
 - (d) the institution or withdrawal of any prosecution at the instance of any administrative Department; and
 - (e) the preparation of important contracts to be entered into by or on behalf of the Government.
- (2) Every such reference shall be accompanied by an accurate statement of the facts of the case and the point or points on which the advice of the Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs is desired.

CHAPTER –IV

Disposal of business relating to Lieutenant Governor's Executive Functions

43. The Lieutenant Governor, may by standing orders in writing, regulate the transaction and disposal of the business relating to his executive functions:

Provided that the standing orders shall be consistent with the provisions of this Chapter, Chapter V and the instructions issued by the Central Government from time to time:

Provided further that the Lieutenant Governor shall in respect of matters connected with 'public order', 'police', 'All India Services' and 'Anti Corruption Bureau' exercise his executive functions in his discretion under the Act.

Provided also that in respect of matters connected with public order, police and IPS Officers, the matters shall be submitted to Lieutenant Governor by the Principal Secretary, Home through the Chief Secretary

Provided also that in respect of matters connected with All India Services Officers (IAS, and IFS) and Anti Corruption Bureau, the matters shall be submitted to the Lieutenant Governor by The Commissioner or Secretary, General Administration Department through the Chief Secretary.

44. (1) With respect to persons other than those belonging to All India services and Police, serving in connection with the administration of the Union territory, the Lieutenant Governor shall, exercise such powers and perform such functions, in consultation with the Chief Minister, as may be entrusted to him under the provisions of the rules and orders regulating the conditions of service of such persons.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Lieutenant Governor shall consult the Union Public Service Commission or Public Service Commission of the Union territory of Jammu and Kashmir on all matters on which the Commission is required to be consulted under clause (3) of article 320 of the Constitution; and in every such case he shall not make any order otherwise than in accordance with the advice of the Union Public Services Commission or the Public Service Commission of the Union territory of Jammu and Kashmir, as the case may be, unless authorised to do so by the Central Government.
- (3) All correspondence with Union Public Service Commission and the Central Government regarding recruitment and conditions of service of persons serving in connection with the administration of Union territory shall be conducted, by the Chief Secretary or Secretary of the Department concerned or any other officer authorised in this behalf, under the direction of the Lieutenant Governor.

45. The matter in respect of which no specific provision has been made in these rules, the Lieutenant Governor shall consult the Central Government before exercising his powers or discharging his functions in respect of that matter.

CHAPTER-V

Referring to the Central Government

46. In case of difference of opinion between the Lieutenant Governor and a Minister in regard to any matter, the Lieutenant Governor shall endeavour by discussion within two weeks from the date of such disagreement on the matter to settle any point on which such difference of opinion has arisen. Should the difference of opinion persist, the Lieutenant Governor may direct that the matter be referred to the Council, which shall consider the matter in its next scheduled meeting and shall convey its decision but not later than 15 days from the date of such reference.

In case no such decision is received within 15 days from the date of such reference, the decision of the Lieutenant Governor shall be deemed to have been accepted by the Council of Ministers.

47. In case of difference of opinion between the Lieutenant Governor and the Council with regard to any matter, the Lieutenant Governor shall refer it to the Central Government for the decision of the President and shall act according to the decision of the President.

48. Where a case is referred to the Central Government in pursuance of rule 47, it shall be competent for the Lieutenant Governor to direct that action shall be suspended pending the decision of the President on such case or in any case where the matter, in his opinion, is such that it is necessary that immediate action should be taken to give such direction or take such action in the matter as he deems necessary.

49. Where a direction has been given by the Lieutenant Governor in pursuance of rule 48, the Secretary concerned shall take action to give effect to such direction.

50. (1) The Lieutenant Governor shall refer to the Central Government every legislative proposal, which-

- (a) if introduced in a Bill form and enacted by the Legislative Assembly, is required to be reserved for the consideration of the President under the second proviso to section 38 of the Act;
- (b) attracts provisions of articles 286, 287, 288 and 304 of the Constitution as applicable to the Union territory;
- (c) relates to any matter which may ultimately necessitate additional financial assistance from the Central Government through substantive expenditure from the Consolidated Fund of the Capital or abandonment of revenue or lowering of rate of any tax.

(2) Subject to any instructions which may from time to time be issued by the Central Government, the Lieutenant Governor shall make a prior reference to the Central Government in the Ministry of Home Affairs or to the appropriate Ministry with a copy to the Ministry of Home Affairs in respect of the following matters-

- (a) proposals affecting the relations of the Central Government with any State Government, the Supreme Court of India or any other High Court;
- (b) proposals for the appointment of Chief Secretary and Director General of Police;
- (c) important cases which affect or are likely to affect the peace and tranquility of the Union territory; and
- (d) cases which affect or are likely to affect the interests of any minority community, Scheduled Castes or the Backward Classes.

51. Subject to the provisions of Rule 48, when a matter has been referred by the Lieutenant Governor to the Central Government under these rules, further action thereon shall not be taken except in accordance with the decision of the Central Government.

CHAPTER – VI
MISCELLANEOUS

52. The Secretary of the Department concerned shall be responsible for the proper transaction of business and careful observance of these rules and if he considers that there has been any material departure from these rules, he shall personally bring it to the notice of the Chief Secretary, Minister-in-charge, Chief Minister and the Lieutenant Governor.

THE FIRST SCHEDULE

[rule 4 (1)]

**Distribution of the Business among the Departments of the
Union Territory of Jammu and Kashmir.**

THE FIRST SCHEDULE

[rule 4 (1)]

S.No.	Name of the Department	Subjects assigned
1.	Administrative Reforms, Inspections, Trainings and Grievances Department.	1. Administrative Reforms 2. Board of Professional Entrance Examination. 3. Educational Loans and Scholarships. 4. Government presses. 5. Inspections. 6. O&M 7. Redressal of Public Grievances. 8. Stationery and Office Supplies. 9. Trainings.
2.	Agriculture Production and Farmers' Welfare Department	1. Agriculture. 2. Agriculture Education. 3. Agro Industries Development Corporation. 4. Applied Nutrition Programme 5. Command Area Development. 6. Land Use Development Board. 7. Rakhs and Farms. 8. Sher-i-Kashmir University of Agriculture Science and Technology (SKUAST) Jammu /Kashmir. 9. Spl. Programmes like DDP & DRAP etc. 10. Sericulture. 11. Jammu and Kashmir State Advisory Board for Development of Kisans.
3.	Animal/Sheep Husbandry and Fisheries	1. Animal Husbandry. 2. Livestock Development Board Jammu/Kashmir 3. Jammu and Kashmir Milk Producers Cooperative Ltd. 4. Jammu and Kashmir Sheep and Sheep Products Development Board. 5. Sheep Husbandry. 6. Fisheries Development 7. Mission Dairy Development.

4.	Civil Aviation	1. Civil Aviation.
5.	Culture	1. Art, Culture and Languages. 2. Archives, Archaeology and Museums 3. Libraries and Research 4. Gazetteers Unit.
6.	Cooperative	1. Cooperative. 2. Cooperative Banks.
7.	School Education	1. School Education
8.	Higher Education	1. Higher Education 2. Universities.
9.	Youth Services & Sports	1. Youth Services and Sports. 2. Sports Council.
10.	Department of Skill Development	1. Technical Education. 2. Skill Development Mission. 3. Food Craft Institute. 4. Craft Development Institute.
11.	Election	1. Franchise 2. Elections.
12.	Finance Department	1. Accounts and Treasuries. 2. Banking and Institutional Finance. 3. Excise and Taxation 4. Finance. 5. Funds Organization. 6. Jammu and Kashmir State Financial Corporation. 7. Public Enterprises.
13.	Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs.	1. Consumer Affairs 2. Food, Supplies and Management. 3. Price Control. 4. Legal Metrology
14.	Forest, Ecology and Environment Department	1. Forest. 2. IWDP. 3. Jammu and Kashmir Forest Corporation. 4. Soil and Water Conservation. 5. Social Forestry including the World Bank Project. 6. Environment and Ecology. 7. Jammu and Kashmir Pollution Control Board. 8. Forest Protection Force 9. Wildlife Protection 10. State Forest Research Institute 11. Environmental Issues
15.	Floriculture Department	1. Floriculture. 2. Gardens and Parks.

16.	General Administration Department	1. Co-ordination of working of different Departments of Government. 2. Cabinet Work. 3. Services Selection Board. 4. Personnel Administration. 5. Public Service Commission. 6. Secretariat Administration. 7. Services. 8. Institute of Management , Public Administration 9. Vigilance Commission. 10. Right to Information. 11. Public Services Guarantee Act 12. Ladakh Affairs
17.	Health and Medical Education Department	1. Health and Family Welfare 2. Medical Education 3. Jammu and Kashmir Drug and Food Control Organization 4. Jammu and Kashmir Medical Supplies Corporation 5. State Food Safety Authorities. 6. Indian Systems of Medicine. 7. State Medicinal Plant Board. 8. Sher-i-Kashmir Institute of Medial Sciences
18.	Home Department	1. Defence Labour Procurement. 2. Fire and Emergency Services. 3. Home Guards and Civil Defence, State Disaster Response Force 4. Prisons. 5. Police Administration 6. Sainik Welfare. 7. Civil Military Liaison. 8. Forensic Science Laboratory. 9. Directorate of Prosecution 10. Police Housing Corporation
19.	Hospitality and Protocol	1. Hospitality and Protocol 2. Estates 3. Resident Commission and Trade Agencies. 4. Toshakhana
20.	Housing and Urban Development Department	1. Urban Housing including Jammu and Kashmir Housing Board. 2. Urban Development including Urban Transportation, Jammu and Srinagar Mass Rapid Transit Corporation. 3. Town Planning Organizations 4. Jammu and Kashmir Architects Organization. 5. Urban Environmental Engineering Department (UEED).

		6. Urban Local Bodies, Municipal Bodies and Municipal Corporations. 7. Development Authorities, Agencies. 8. Building Centres, Jammu, Srinagar. 9. Jammu, Srinagar Smart City Limited. 10. Jammu and Kashmir Real Estate Regulatory Authority. 11. Jammu, Srinagar Metropolitan Region Development Authority.
21.	Industries and Commerce Department	1. Industries and Commerce. 2. Handicrafts. 3. Handlooms 4. Jammu and Kashmir Cements. 5. Jammu and Kashmir Handicrafts (Sale and Export Corporation Ltd. 6. Jammu and Kashmir Handloom Development Corporation. 7. Jammu and Kashmir Industries Ltd. 8. Jammu and Kashmir Minerals Ltd. 9. Jammu and Kashmir Small Scale Industries Development Corporation Ltd. 10. Jammu and Kashmir Small Industries Development Corporation Ltd. 11. Jammu and Kashmir Khadi and Village Industries Board. 12. Information Technology, Infrastructure Development Company Pvt. Ltd. 13. Jammu and Kashmir Trade Promotion Organization 14. Jammu and Kashmir Entrepreneurship Dev. Institute. 15. Indian Institute of Carpet Technology
22.	Information Department	1. Information. 2. Publicity and Public Relations
23.	Information Technology Department	1. e-Governance. 2. Computerization, Digitalization and Automation. 3. Electronics and Information Technology
24.	Labour and Employment Department	1. Employees Insurance Scheme. 2. Employees Provident Fund Scheme. 3. Labour Administration. 4. Labour Welfare. 5. Employment. 6. Self Employment Schemes including Central Schemes. 7. Jammu and Kashmir Construction Workers Welfare Corporation.

25.	Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs	1. Legislation. 2. Judiciary. 3. Law. 4. Parliamentary Affairs 5. Special Tribunals. 6. Jammu and Kashmir Legal Aid and Advisory Board.
26.	Mining	1. Geology and Mining.
27.	Planning, Development and Monitoring Department	1. Programme Implementation. 2. Evaluation and Statistics 3. Planning. 4. Census operation.
28.	Power Development Department	1. Jammu and Kashmir Power Development Corporation 2. Power Development. 3. Development of Hydro and Solar Power Projects exceeding 02 MW capacity. 4. Jammu and Kashmir Electricity Regulatory Commission. 5. All Power Corporations
29.	Public Works (R&B) Department	1. Designs Organization. 2. Jammu and Kashmir Projects Construction Corporation. 3. Mechanical Department. 4. Roads and Buildings. 5. Stores Procurements
30.	Jal Shakti Department	1. Irrigation and Flood Control 2. Public Health Engineering 3. Jammu and Kashmir Water Resources Regulatory Authority
31.	Revenue Department	1. Administration of Evacuees Property. 2. Haj and Auqaf. 3. Land records 4. Land Acquisition/Transfer 5. Settlement
32.	Department of Rural Development and Panchayati Raj	1. Community Development and National Extension Service. 2. District Rural Development Agencies DRDAS. 3. Panchayats. 4. Rural Development. 5. Rural Engineering. 6. Rural Sanitation. 7. Applied Nutrition programme (ANP).
33.	Science and Technology	1. Remote Sensing and Geographical Information System. 2. Science, Technology and Innovation. 3. Biotechnology 4. New and Renewable Energy.

		5. Geo-Sciences and Earth Science 6. Non-Conventional Energy Sources (Excluding Solar and Hydro Power Projects exceeding 02 MW capacity).
34.	Social Welfare	1. Social Justice and Empowerment. 2. Women and Child Development. 3. Minority Affairs. 4. Various Social Welfare Boards
35.	Tourism Department	1 Jammu and Kashmir Tourism Development Corporation Limited. 2 Tourism. 3 Tourism Development Authorities, Heritage Societies 4 Jammu and Kashmir Cable Car Corporation Limited. 5 Sher-i-Kashmir International Convention Centre. 6 Jammu and Kashmir Golf courses, Golf Development and Management Authorities. 7 Shrine Boards.
36.	Transport	1. Jammu and Kashmir SRTC. 2. State Motor Garages. 3. Motor Vehicle Department. 4. State Transport Authority. 5. J&K Road Safety Council.
37.	Disaster Management, Relief, Rehabilitation and Reconstruction (DMRRR)	1. Emergency Relief Organization. 2. Disaster Management. 3. Relief and Rehabilitation. 4. Management of all issues relating to Kashmiri Migrants. 5. Issues pertaining to Displaced Persons (DP's of 1947, Chhamb DP's of 1965/71 and West Pakistan Refugees) 6. Management of issues pertaining to people affected due to firing on Line of Control and International Border.
38.	Tribal Affairs	1. Tribal Affairs. 2. Jammu and Kashmir Advisory Board for Development of Gujjars and Bakerwals.
39.	Horticulture	1. Horticulture. 2. Horticulture Planning and Marketing. 3. Horticulture Produce Marketing and Processing Corporation Ltd.

THE SECOND SCHEDULE**(See rules 7 and 8)**

1. Proposals relating to summoning and prorogation and dissolution of the Legislative Assembly.
2. The annual financial statements to be laid before the Legislative Assembly and demands for supplementary, additional or excess grants.
3. Proposals for introduction of any resolution or Bill to be moved in the Legislative Assembly.
4. Proposals for the imposition of a new tax or any change in the method of assessment or the pitch of any existing tax or land revenue.
5. Proposals which affect the finances of the Union territory and do not have the consent of the Finance Minister.
6. Proposals for re-appropriation to which the consent of the Finance Minister is required and has been withheld.
7. Proposals involving the alienation, either temporary or permanent, or of sale, grant or lease of Government property or the abandonment or reduction of revenues except when such alienation, sale, grant or lease of Government property or the abandonment or reduction of revenues is in accordance with the rules or with a general scheme already approved by the Council.
8. The annual audit review of the finances of the Union territory and report of the Public Accounts Committee.
9. Proposals involving any important change in policy or practice.
10. Proposals for the creation or abolition of any public office for which the maximum remuneration is above Rs. 47600-15110 (Level -8).
11. Appointment of Committees of Inquiry on the initiative of the Department or in pursuance of a resolution passed by the Legislative Assembly and reports of such committees.
12. Proposal or matters required by the Lieutenant Governor or Chief Minister to be brought before the Council.
13. Draft Bills and proposals for legislation including issue of Ordinance.
14. Proposals to vary or reverse a decision previously taken by the Council.
15. The Council may at any time reconstitute the departments, create new departments, reclassify and distribute afresh the business of the Government between those departments.

[F.No.11012/27/2020-SRA]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.